

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश

निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1592 दिनांक 26.07.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न औ० प्र० संस्थानों में पदस्थापित क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग के प्रधान लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिकों के किये गये स्थानांतरण आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

ह०/-

अपर मुख्य सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6) लि०-04/2019-2167...../पटना, दिनांक 21.10. 2019
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना तथा सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-


अपर मुख्य सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6) लि०-04/2019-2167...../पटना, दिनांक 21.10. 2019
प्रतिलिपि- सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु)/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी, पटना/संयुक्त निदेशक (परीक्षा), परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, पटना/सभी प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/उप प्राचार्य, औ० प्र० संस्थान (महिला एवं एल०डब्लू०ई० सहित)/सभी संबंधित कर्मी तथा निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण, (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के सभी पदाधिकारियों/पटल प्रभारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

अपर मुख्य सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- टी-1/स्था० (6) लि०-04/2019-2167...../पटना, दिनांक 21.10. 2019
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव तथा आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित।


अपर मुख्य सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।